कार्यालय–उपनिदेशक, गोविन्दवन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवंफैक्स नं0. 01373-223433,Email- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 618 /IS-1 पुरोलाः दिनांक 07/9/ 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण,
मूल्यांकन आई०टी० एवं आधुनिकीकरण,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

विषयः– **पर्यटकों के आवागमन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क पुरोला अन्तर्गत आने वाले विदेशी/देशी पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत, विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं दैवीय आपदा (वर्षाकाल) के मध्यनजर निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:–

1. गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क पुरोला के अन्तर्गत गोविन्द नेशनल पार्क का क्षेत्र माह जुलाई से अगस्त (वर्षाकाल) तथा दिसम्बर से फरवरी (शीतकालीन) तक पर्यटकों के आवागमन हेतु पूर्णतः बन्द रहेगा।
2. गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क पुरोला के क्षेत्रान्तर्गत बिना किसी पूर्व अनुमति के पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति नही होगी। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात यदि मौसम विभाग से कोई चेतावनी प्राप्त होती है तो अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।
3. उपायुक्त अध्यक्ष डी०डी०एम० जिला किन्नौर, रिकांग (हिमाचल प्रदेश) के पत्रांक 2048–2056 दिनॉक 05 सितम्बर 2022 द्वारा उत्तरकाशी से जिला किन्नौर की ओर जाने वाले ट्रैकिंग मार्गो को आगामी आदेशों तक के लिए पूर्णतः बन्द किया गया है। अतः इस मार्गो पर हिमाचल की सीमा में जाने की अनुमति किसी भी दशा में नही दी जायेगी।
4. गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क के उच्च हिमालयी क्षेत्र (ब्लैकपीक, भड़ासूपास, स्वर्गारोहणी,) में अभियान (Expedition) की अनुमति कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, (वन्यजीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त करने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा अनमुति जारी की जायेगी।
5. उच्च हिमालयी क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न ट्रैक रूटों जिनकी सीमा का निर्धारण दूसरे वन प्रभाग/राज्य से होता है, की अनुमति दूसरे वन प्रभाग/राज्य के यहां से प्राप्त होने के पश्चात ही उप निदेशक कार्यालय से अनुमति प्रदान की जायेगी।

अतः महोदय से निवदेन है कि उक्त शर्तो को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करे।

भवदीय

(डी०पी०बलूनी)
उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं
राष्ट्रीय पार्क पुरोला, उत्तरकाशी

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन क्षेत्राधिकारी, रूपिन, सुपिन एवं सांकरी रेंज को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी०पी०बलूनी)
उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं
राष्ट्रीय पार्क पुरोला, उत्तरकाशी